

कार्यालय कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
 एवं पदेन उप-सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक क/...../मू-अर्जन/वा0 1/2016-17/

बुरहानपुर, दिनांक 15.3.2017

सार्वजनिक सूचना
 (अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014)

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बुरहानपुर में रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु ग्राम लालबागमाल तहसील एवं जिला बुरहानपुर (म0प्र0) के खाताधारक की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्र0 एम0 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12-11-2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सं0 क्र0	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	नानूराम पिता शकर बंजारा निवासी गुलाबगंज वार्ड क्र0 45, बुरहानपुर	70/1	-	-	-	5.90 × 4.50 = 24.75 वर्गमीटर में निर्मित भवन निर्माण - बल्ली के लोहे के टीन फर्श कच्चा एव 2.00 × 2.90 = 5.80 वर्गमीटर में निर्मित भवन - कच्चा मकान कच्चा छत।
2	शिवराम सरदार बंजारा निवासी गुलाबगंज वार्ड क्र0 45, बुरहानपुर	70/1	-	-	-	5.80 × 3.80 = 22.04 एव 5.50 × 2.60 = 14.30 वर्गमीटर में निर्मित भवन निर्माण - बल्ली व लोहे के टीन फर्श कच्चा

(दीपक सिंह)

कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव,
 मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, बुरहानपुर